Fax / Email

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ गृह विभाग
संख्या–93जी0आई0 / छः–सानिप्र–14–100(5) / 2014
लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2015

SC 6

कार्यालय–ज्ञाप

अवगत है कि वर्ष 1984 के दंगों की जॉच हेतु गठित न्यायमूर्ति नानावटी जॉच आयोग की सुँस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के पत्र संख्या– 13018 / 46 / 2005–दिल्ली–1(एनसी) दिनांक 16.01.2006 के कम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1372के / छः–सानिप्र–2006–200(15) / 2000, दिनांक–22.07.2006 द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान हेतु स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के तहत दंगें में प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जक सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को ₹-3,50.000.00 की अनुग्रह राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

जारी/प्र0-2812/15 12/2/15

12-2-2015

2– उक्त के कम में भारत सरकार के पत्र संख्या–यू013018 / 46 / 2005–दिल्ली–1(एनसी) दिनांक–16–12–2014 (प्रति संलग्न) द्वारा लिये गये निर्णय के कम में वर्ष 1984 के दंगें में प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जक सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को मिलने वाली अनुमन्य आर्थिक सहायता ₹-3,50.000.00 के अतिरिक्त ₹-5,00.000.00 (रूपये पॉच लाख) की अनुग्रह राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– वर्ष 1984 के दंगें में मृत प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित / वारिसान को पूर्व में दी गयी आर्थिक सहायता के अतिरिक्त ₹-5,00,000/- (रूपये पॉच लाख) की धनराशि पूर्व की भॉति पहले राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से वितरित की जायेगी एवं संवितरण के पश्चात उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी वर्ष 1984 के दंगे में प्रत्येक मृतक के आश्रित / कानूनी वारिसानों के सम्बन्ध में आख्या समुचित तस्दीक के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप पर संवीक्षित / सत्यापित (Scruitiny/ verify) आख्या शासन को अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करायेंगे।

क0 सं0	मृतक का नाम व पता	मृतक आश्रित का नाम व पता	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा पूर्व में आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई
1				

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

संख्या–93 जी0आई0(1) / छः–सानिप्र–2014 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

NOTE NANA

3. मण्डलायुक्त/प्रतिकर अधिकारी, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
11. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12/वित्त(लेखा) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग–2
13. गृह(पुलिस)अनुभाग–7
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

NOTE NANA